

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-05-03-19

विषय:- मधुबनी जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंडौल को 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करते हुए नये भवन निर्माण हेतु रुपये 6,30,33,000/- (छः करोड़ तीस लाख तेतीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवशेष राशि रुपये 6,30,33,000-2,03,27,000=4,27,06,000/- (चार करोड़ सताइस लाख छः हजार रुपये) मात्र व्यय निमित्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मधुबनी जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंडौल को उत्क्रमित कर 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक-2067, दिनांक-07.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के आलोक में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में स्वीकृत्यादेश संख्या-924(10), दिनांक-20.02.2009 के द्वारा कुल 62 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण की दी गयी स्वीकृति में पंडौल (मधुबनी) भी शामिल है एवं इसके लिए प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु रुपये 2,03,27,000/- (दो करोड़ तीन लाख सताइस हजार रुपये) की राशि भी पूर्व में निर्माण एजेन्सी बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को उपलब्ध करायी जा चुकी है। अतएव पुनरीक्षित स्थूल प्राक्कलन भूमि उपलब्धता की स्थिति के आधार पर कुल रुपये 6,30,33,000/- (छः करोड़ तीस लाख तेतीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवशेष राशि रुपये 6,30,33,000-2,03,27,000=4,27,06,000/- (चार करोड़ सताइस लाख छः हजार रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-1141(10), दिनांक-21.02.2019 द्वारा दी गयी है। तदक्रम में अवशेष राशि रुपये 6,30,33,000-2,03,27,000=4,27,06,000/- (चार करोड़ सताइस लाख छः हजार रुपये) व्यय निमित्त आवंटन दी जाती है।

(2) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा:-

- (i) भवन निर्माण कार्य परिसर अवस्थित उपलब्ध आवश्यक 2 एकड़ भूमि पर ही कराया जाएगा।
- (ii) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।
- (iii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।
- (iv) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- (v) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।
- (vi) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।



- (vii) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तदक्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छः मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।
- (viii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।
- (3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष- 0101-रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड-20-4210021030101, विषय शीर्ष-(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- (4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी०एल० खाता संख्या-244 एवं विपत्र कोड-K8448001110002 में सुलभ करायेंगे।
- (5) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतदसंबंधी डी०सी० विपत्र छः माह के अन्दर विभाग से अग्रसारित कराते हुए महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे।
- (6) यह आवंटनादेश वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि०(2), दिनांक-27.11.2007, 96/वि०(2), दिनांक-03.01.2008, 3923/वि०(2), दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
- (7) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।
- (8) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी।
- (9) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(राधेश्याम साह)


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- 37 (10) A

/स्वा०, पटना, दिनांक- 05-03-19

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/सिविल सर्जन, मधुबनी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंडौल (मधुबनी)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।